न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण सख्या:–56 / 2018

दायर दिनांक:– 04.07.2018

जीसीएमएस नं. 2018 / 00142

उनवान

नलसिंह पुत्र पृथ्वी जाति मीना निवासी गढीपटटी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——सायलान–03

बनाम

अमृत पुत्र मेघराम जाति मीना निवासी गढढीपटटी तहसील हिण्डोन जिला करौली राज0

——गैरसायलान–15

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:– 1-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार–बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 30.11.2018 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 56 / 2018 नलसिंह बनाम अमृत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील / पा[illegible] म[illegible]रिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर[illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:41:47 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली